वित्तीय स्वीकृति

संख्या-56/2023/914/18-2-2023-18-2002/15/2023

प्रेषक

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का भवन निर्माण योजनान्तर्गत् हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-91/10-जि0उ0के0/भवन निर्माण/2023-24, दिनांक 25 जुलाई, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का भवन निर्माण योजनान्तर्गत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 535.00 लाख के सापेक्ष कालम-2/3 में वर्णित स्थानों/कार्यों हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये कालम-4 में अंकित लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये कुल रू0 493.49 लाख (रूपये चार करोड़ तिरानवे लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखने तथा व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	औ0आ0 का नाम	प्रस्तावित कार्य	अनुमोदित लागत (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोतसाहन केन्द्र, शामली ।	भवन निर्माण	167.58	167.58
2	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोतसाहन केन्द्र, वाराणसी ।	भवन निर्माण	151.26	151.26
3	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोतसाहन केन्द्र, अमेठी ।	भवन निर्माण	174.65	174.65
कुल योग रूपये चार करोड़ तिरान्वे लाख उन्चास हजार मात्र				493.49

2- उपर्युक्त निर्माण कार्यों हेतु गठित आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी से नक्शा अनुमोदित करा लिया जायेगा। कार्य को अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा, यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य समयबद्वता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

3- कार्य की लागत के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों शिड्यूल आफ रेट्स के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि आहरित कर तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

6- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर की होगी तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयसीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगा। कार्य का सत्यापन संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा किया जायेगा एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

10- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,93,49,000 (रुपये चार करोड़ तिरानवे लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**003 **लेखा शीर्षक-**4851001020700-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का भवन निर्माण **मानक मद-**24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-84-X-2023-24-दिनांक 2-11-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- संबंधित कार्यदायी संस्था।

6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।